



भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI)

प्रलिस के ललल:

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI), प्रतस्पर्द्धा अधनलललम 2002

मेन्स के ललल:

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) के मुद्दे और उपलब्धललल, वभलनलन प्रकर के सलंवधलकल नकलल

चरूा में कूूू?

हलल ही में वतलत मंतूरी ने भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI) के 13वें वलरूषकल दवलस सललरोह में भलग लललल ।

- इस अवसर पर वतलत मंतूरी ने कूषेतूरीय करूूूललल कल उद्घलटन कलल और CCI के ललल एक उन्नत वेबसलइट कल शुभलरंभ भी कलल ।

भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग (CCI):

प्ररूूलल:

- भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग एक सलंवधलकल नकलल है कुे [प्रतस्पर्द्धा अधनलललम, 2002](#) के उद्देशूूू के ललल उतूतरदललल है । इसकल वधलवलत गठन मलरू 2009 में कलल गलल थल ।
- रलघवन सलतलल कल सलफलरशलू के आधलर पर [एकलधकललर और प्रतलबलंधलतूतूक वूूूललर वूूूवलर अधनलललम \(MRTP Act\)](#), 1969 कुे नरलसूत कर इसे प्रतस्पर्द्धा अधनलललम, 2002 दवलरल प्रतसूथलपतल कलल गलल है ।

संरूूनल:

- प्रतस्पर्द्धा अधनलललम के अनुसलर, आयोग में एक अधूूकूू और छह सदसूू होते हैं कुनलहें केंदू सरकर दवलरल नलूकुत कलल गलल है ।
- आयोग एक [अरूद्ध-नूूूललकल नकलल \(Quasi-Judicial Body\)](#) है कुे सलंवधलकल प्रलधकलरूूू कुे परलमरूश देने के सलथ-सलथ अनुूू मलमलूू कुे भी संबूधतल करतल है । इसके अधूूकूू और अनुूू सदसूू पूरूूकललकल होते हैं ।

सदसूूू कुे पलतूरतल:

- इसके अधूूकूू और सदसूूू बनने के ललल ऐसल वूूकूूतलपलतूू होगल कुे सतूूनषलठल और प्रतषलठल के सलथ-सलथ उूूू नूूूलललल कल नूूूललधलश रह कूूकल हो यल उूूू नूूूलललल के नूूूललधलश के पद पर नलूकुत होने कल लूूूतल रखतल हो यल कुसलके पलस अंतूररलषटूरीय वूूूललर, अरूथशलसूतूू, करूूूलर, वलणकुूू, वधल, वतलत, लेखल करूूू, प्रबंधन, उदूूू, लूूू करूूू यल प्रतस्पर्द्धल संबंधल वषललूू में कल-से-कल पंदूूह वरूू कल वशलष कुूून एव वूूूतकल अनुभव हो और केंदू सरकर कल रलल में आयोग के ललल उपलूूूी हो ।

प्रतस्पर्द्धल अधनलललम, 2002:

- प्रतस्पर्द्धल अधनलललम वरूू 2002 में पलरतल कलल गलल थल और [प्रतस्पर्द्धल \(संशूधन\) अधनलललम, 2007](#) दवलरल इसे संशूधतल कलल गलल । यह आधूूनकल प्रतस्पर्द्धल वधलनूूू के दरूशन कल अनुसरूूू करतल है ।
 - यह अधनलललम प्रतस्पर्द्धल-वरूूधल करलरूू और उदूूूू दवलरल अपनी प्रूूूधन सूूथतल के दूरुपलूूू कल प्रतषलध करतल है तथल सलूूूूूूूू [अरूूून, नरूूूतूूूू, 'वललल एव अधगलरूूूू' (M&A)] कल वनलललमन करतल है, कूूूूकल इनकूी वकूू से भलरत में प्रतस्पर्द्धल पर वूूूलक प्रतकलूूू प्ररूूव पडूूतल है यल इसकूी संभलवनल बनल रहतूी है ।
 - संशूूधन अधनलललम के प्रलवधलनूूू के अनुरूूू भलरतूूू प्रतस्पर्द्धल आयोग और [प्रतस्पर्द्धल अलूललल नूूूललधकलरूूू \(Competition Appellate Tribunal- COMPAT\) कूी सूूथलपनल कूी गूूू](#) ।
 - वरूू 2017 में सरकर ने प्रतस्पर्द्धल अलूललल नूूूललधकलरूूू (COMPAT) कुे [रलषटूरीय कंपनल कलनूू अलूललल नूूूललधकलरूूू \(National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT\)](#) से प्रतसूथलपतल कर दलल ।

CCI कूी भूूूकल और करूूू:

- **प्रतस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना** , प्रतस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और उसे जारी रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ।
- किसी वधिन के तहत स्थापित किसी सांघिकि प्राधकिरण से प्राप्त संदर्भ के लयि प्रतस्पर्द्धा संबंधी वषियों पर परामर्श देना एवं प्रतस्पर्द्धा की भावना को संपोषति करना, सार्वजनकि जागरूकता पैदा करना एवं प्रतस्पर्द्धा के वषियों पर प्रशकिषण प्रदान करना ।
- **उपभोक्ता कल्याण:** उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लयि बाजारों को सकषम बनाना ।
- अर्थव्यवस्था के तीव्र तथा समावेशी वकिस एवं वृद्धि के लयि देश की आर्थकि गतविधियिं हेतु नषिपक्ष और स्वस्थ प्रतस्पर्द्धा सुनिश्चिति करना ।
- आर्थकि संसाधनों के कुशलतम उपयोग को कार्यान्वति करने के उद्देश्य से प्रतस्पर्द्धा नीतयिं को लागू करना ।
- प्रतस्पर्द्धा के पक्ष-समर्थन को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाना और सभी हतिधारकों के बीच प्रतस्पर्द्धा के लाभों को लेकर सूचना का प्रसार करना ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतस्पर्द्धा की संस्कृति का वकिस तथा संपोषण कयि जा सके ।

CCI की अब तक की उपलब्धियिं:

- आयोग ने 1,200 से अधकि स्पर्द्धारोधी मामलों का नरिणय कयि है, यानी स्पर्द्धारोधी मामलों में केस नपिटान दर 89% है ।
- इसने अब तक 900 से अधकि वलिय और अधग्रहण के मामलों की समीक्षा की है, उनमें से अधकिंश को 30 दनिं के रकिॉर्ड औसत समय के भीतर मंजूरी दी है ।
- आयोग ने संयोजनों/लेन-देनों पर स्वचालति अनुमोदन के लयि 'ग्रीन चैनल' प्रावधान जैसे कई नवाचार भी कयि हैं तथा ऐसे 50 से अधकि लेन-देन को मंजूरी दी है ।

चुनौतयिं:

- **डजिटिलीकरण से उत्पन्न चुनौतयिं:** चूँकि प्रतस्पर्द्धा अधनियिम (2002) के समय हमारे पास एक मज़बूत डजिटिल अर्थव्यवस्था नहीं थी, अतः CCI को नए डजिटिल युग की तकनीकी बारीकयिं को समझना चाहयि ।
- **नई बाजार परभाषा की आवश्यकता:** भारतीय प्रतस्पर्द्धा आयोग को अब बाजार की अपनी परभाषा को आधुनकि बनाने की आवश्यकता है । चूँकि डजिटिल स्पेस की कोई सीमा नहीं है, अतः प्रासंगकि बाजारों को परभाषति करना वशिव भर के नयिामकों के लयि एक कठनि काम रहा है ।
- **कार्टेलाइजेशन से खतरा:** कार्टेलाइजेशन से खतरे की संभावना है । चूँकि महामारी के कारण वस्तुओं की वैश्वकि कमी देखी गई है औसूरवी यूरोप में युद्ध के परणामस्वरूप आपूर्ति शृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।
 - इनकी जाँच कर यह सुनिश्चिति करना आवश्यक है कि कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति पक्ष में उत्तार-चढ़ाव के पीछे कोई एकाधिकार/द्वैतवादी प्रवृत्तति नहीं है ।

आगे की राह

- **वेब 3.0, आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थयिंस, ब्लॉकचेन** और अन्य तकनीकी उन्नयनों के साथ ही डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता, प्लेटफॉर्म तटस्थता, डीप डस्किाउंटगि, कलिर एक्वज़िशन आदि जैसे मुद्दों का उद्भव हुआ है जिसके परणामस्वरूप भारत के लयि एक मज़बूत प्रतस्पर्द्धा कानून-जो प्रौद्योगिकी की वर्तमान दुनयि में कानूनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपरहिर्य हो गया है । इस तरह का कानून डजिटिल बाजार के अभकिर्त्ताओं को व्यावहारकि स्तर पर सहभागति में सकषम बनाएगा ।
 - CCI को नए डजिटिल युग की तकनीकी बारीकयिं के साथ यह समझने की आवश्यकता है कि उपभोक्ताओं के लाभ के लयि इन बाजारों का उचिति, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से उपयोग कयि जा रहा है या नहीं ।
- **FAQS** एक स्थायी समर्थन साधन बन सकते हैं जिसका प्रयोग "उपयोग के लयि तैयार आधार (Ready-to-Use Basis)" के रूप में सूचना प्रसारति करने के लयि कयि जा सकता है ।
 - यह एक सक्रयि और प्रगतशील नयिामक के रूप के रूप में CCI की स्थति को मज़बूत करेगा तथा इस तरह के मार्गदर्शन से बाजार सहभागयिं को नविरक उपाय प्रदान करने में मदद मलैगी ।

स्रोत: पी.आई.बी.